।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांक/वि.जा.प्र./2021/ 37419-60 दिनांकः 14/9/2021

:: परिपत्र ::

प्रायः विभाग के कार्मिकों द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही में पारित दण्डादेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अस्वीकार/खारिज होने के उपरान्त अपील प्राधिकारी से उच्च स्तर पर द्वितीय अपील की जाती है, जिसका सी.सी.ए. नियम-23 में प्रावधान नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा द्वितीय अपील करने का प्रावधान राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के भाग-6 के नियम-30 के उप नियम-10 में दिनांक 09.10.1974 से समाप्त कर दिया है। कार्मिक चाहे तो सी.सी.ए. नियम-34 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को पुनर्विलोकन याचिका दायर कर सकता है।

अतः समस्त नियन्त्रक प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यालय/कारागृहों पर पदस्थापित/कार्यरत कार्मिकों को इससे सूचित करावें।

Sd
(आलोक कुमार वशिष्ठ)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप महानिरीक्षक, कारागार रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
2. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह राजस्थान।
3. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर।
4. अधीक्षक, विशिष्ठ केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास (दौसा)।
5. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा मुख्यालय कारागार जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर